न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 03/2019

अपीलांट

धीरज पुत्र लाखा देसाई जाति रेबारी आयु वयस्क निवासी गुजरात हास्पीटल, बस स्टेण्ड सिरोही जरिए पावर आफ एर्टोनी होल्डर कनुभाई पुत्र देवाभाई देसाई जाति रेबारी आयु 33 वर्ष निवासी नया सानवाडा, तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिंडवाडा जिला सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-

1. श्री नगेन्द्र मेडतिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

-: निर्णय :-

दिनांक : 28.06.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर पिंडवाडा द्वारा विविध प्रार्थना संख्या 203/2017 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2019 को अपास्त कराने का निवेदन किया। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विरूद्ध अपीलाट्स अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा मौजा वीरवाडा के खसरा नंबर 860 रकबा 1.09 बीघा कृषि भूमि को बिना संपरिवर्तन कराये फैंसिग तारबंदी कर फलोरिंग कर पत्थरगढी कर गैर कृषि उपयोग करने के संबध में प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना जवाब साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही दिया। धारा 178 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार भी "धारा 177 के तहत पारित डिक्री या आदेश में यह

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निदेश होगा कि यदि अभिधारी डिक्री या आदेश की पालना की तारीख से तीन माह के या ऐसे और समय के भीतर जो न्यायालय अभिलिखित किऐ जाने वाले प्रकरणो का अभिलिखित करे, नुकसान पूर्ति कर देवे अथवा ऐसे मुआवेजे का, जो न्यायालय उचित समझे, संदाय कर दे तो ऐसी डिक्री या आदेश का निष्पादन सिवाय उसके जिसका संबध खर्चो से है, नही किया जाएगा।'' किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना धारा 179 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो को अनदेखा करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विरूद्ध अपीलाट्स अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट द्वारा मौजा वीरवाडा के खसरा नंबर 860 रकबा 1.09 बीघा कृषि भूमि को बिना संपरिवर्तन कराये फैंसिग तारबंदी कर फलोरिंग कर पत्थरगढी कर गैर कृषि उपयोग करने के संबध में प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त कृषि आराजी पर बिना बिना रूपातंरण करवाये गैर कृषि कार्य कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघंन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए मोका रिर्पोट के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया है जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विरूद्ध अपीलाट्स अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट द्वारा मौजा वीरवाडा के खसरा नंबर 860 रकबा 1.09 बीघा कृषि भूमि को बिना संपरिवर्तन कराये फैंसिग तारबंदी कर फलोरिंग कर पत्थरगढी कर गैर कृषि उपयोग करने के संबध में प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई तथ्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त आराजी पर अकृषि कार्य हो रहा है। इसके अतिरिक्त धारा 178 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार भी ''धारा 177 के तहत पारित डिक्री या आदेश में यह निदेश होगा कि यदि अभिधारी डिक्री या आदेश की पालना की तारीख से तीन माह के या ऐसे और समय के भीतर जो न्यायालय अभिलिखित किऐ जाने वाले प्रकरणो का अभिलिखित करे, नुकसान पूर्ति कर देवे अथवा ऐसे मुआवजे का, जो न्यायालय उचित समझे, संदाय कर दे तो ऐसी डिक्री या आदेश का निष्पादन सिवाय उसके जिसका संबध खर्चो से है, नही किया जाएगा।'' हस्तगत प्रकरण में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश के अन्तर्गत ऐसा कोई निदेश नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त हाजा न्यायालय के समक्ष वकील अपीलांट ने फार्म नंबर 3 के साथ वादग्रस्त आराजी के फोटोग्राफ प्रस्तुत किये, जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी किसी प्रकार का कोई अकृषि कार्य हेतु उपयोग में नही ली जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 178 के प्रावधानो को ध्यान में न रखते हुए आनन–फानन में जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर पिंडवाडा द्वारा विविध प्रार्थना संख्या 203/2017 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2019 को अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 28·06·19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली